# नेपाल गजेट

## भाग २

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड १६ ] काठमाडौं, आषाढ ३१ गते २०२३ साल [ अतिरिक्ताङ्क १५

श्री ५ को सरकार

### कानून तथा न्याय मन्त्रालय

श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले बनाइबक्सेको तल लेखिएबमोजिमको ऐन सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छः–

२०२३ सालको ऐन नं. १

स्वस्तिश्री गिरिराजचक्रचूडामणि नरनारायणेत्यादि विविध विरुदावली विराजमान मानोन्नत महेन्द्रमाला ओजस्विराजन्य अति तेजस्वी त्रिभुवन प्रजातन्त्रश्रीपद अति कीर्तिमय नेपालश्रीपद प्रोज्ज्वल नेपालतारा ॐ रामपट्ट अतुलज्योतिर्मय त्रिशक्तिपट्ट अतिप्रवल गोरखादक्षिणबाहु महाधिपति अतिरथी परमसेनाधिपति श्री श्री श्री श्री श्रीमन्महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव देवानाम् सदा समर विजयिनाम् ।

आर्थिक वर्ष २०२३।२४ को केही अंशको सेवा र कार्यहरूको लागि सञ्चित कोषबाट पेश्कीको रूपमा केही रकम झिक्ने र खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः– आर्थिक वर्ष २०२३।२४ को निमित्त प्रस्तुत विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको र सो वर्षको निमित्त अनुमान गरिएको खर्चको केही अंश अगावै पेश्कीको रूपमा सञ्चित कोषबाट झिक्ने र खर्च गर्ने अधिकार दिन वाञ्छनीय भएकोले,



आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

२२९

श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम:– यस ऐनको नाम पेश्की खर्च ऐन, २०२३ रहेको छ ।

२. आर्थिक वर्ष २०२३।२४ को निमित्त सञ्चित कोषबाट रुपैयाँ खर्च गर्ने अधिकार:– आर्थिक वर्ष २०२३।२४ को निमित्त अनुसूची २ को कालम ३ मा अनुसूची ३ को कालम ३ मा निर्दिष्ट गरिएको सेवा र कार्यहरूको निमित्त अनुसूची २ को कालम ४ मा अनुसूची ३ को कालम ४ मा निर्दिष्ट गरिएबमोजिमको जम्मा रुपैयाँ १३,२३,२०,०००।– तेह्र करोड तेईस लाख बीस हजार मा नबढाई त्यतिसम्मको रकम सञ्चित कोषबाट झिक्न र खर्च गर्न सकिनेछ ।

मुद्रण विभाग, सिंहदरबार

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

२६२

## अनुसूची १

### संविधान अनुसार सञ्चित कोष माथि व्यय भार हुने

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| सि. नं. | अनुदान संख्या | सेवा र कार्य | सञ्चित कोष माथि व्यय भार हुने रू. हजारमा |
| १ | १ | श्री ५ महाराजाधिराज तथा राजपरिवार | ५४,७४ |
| २ | २ | राजसभा | १,७२ |
| ३ | ३ | राष्ट्रिय पञ्चायत | १३,०७ |
| ४ | ४ | महालेखा परीक्षकको विभाग | ७,६९ |
| ५ | ५ | सर्वोच्च अदालत | ८,१८ |
| ६ | ६ | लोकसेवा आयोग | २,३४ |
| ७ | ३८ | लगानी ऋण तथा ब्याज | ८१,८५ |
| | | | १,६९,५९ |

मुद्रण विभाग, सिंहदरबार

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

२६२

## अनुसूची २

दफा २ अनुसार सञ्चित कोषबाट खर्च हुने।

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| सि. नं. | अनुदान संख्या | सेवा र कार्य | विनियोजित रकम रू. हजारमा |
| १ | ७ | मन्त्रिपरिषद् | १,७२ |
| २ | ८ | श्री ५ को सरकारको सचिवालय | १०,७८ |
| ३ | ९ | जिल्ला प्रशासन | ११,४८ |
| ४ | १० | पुलिस | ४७,२३ |
| ५ | ११ | जेल | ७,१७ |
| ६ | १२ | विविध | ३,१६ |
| ७ | १३ | मालपोत | १४,९२ |
| ८ | १४ | भंसार | ८,०५ |
| ९ | १५ | अन्तःशुल्क | ५९ |
| १० | १६ | कर | २,३८ |
| ११ | १७ | रोडशेष | ३८ |
| १२ | १८ | आय कर अदालत | ३९ |
| १३ | १९ | तथ्याङ्क | ४२ |
| १४ | २० | सर्भे | ३१ |
| १५ | २१ | टक्सार | १,६४ |
| १६ | २२ | एकाउण्टण्ट जनरल अफिस | २,३४ |
| १७ | २३ | अदालत | १०,५३ |
| १८ | २४ | एटर्नी जनरल अफिस | २६ |
| १९ | २५ | वैदेशिक | १९,१२ |
| २० | २६ | विविध | ४,७१ |
| २१ | २७ | शिक्षा | ३५,५० |
| २२ | २८ | स्वास्थ्य | १५,४२ |
| २३ | २९ | प्रचार तथा प्रसार | ६,८५ |
| २४ | ३० | पञ्चायत | ६,७९ |
| २५ | ३१ | कृषि | २,२९ |
| २६ | ३२ | बन | ११,६८ |
| २७ | ३३ | उद्योग वाणिज्य | २,०३ |

मदन पुरस्कार पुस्तकालय, ललितपुर
आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।
२९०४

| | | | |
|---|---|---|---|
| २८ | ३४ | सञ्चार | १८,०३ |
| २९ | ३५ | यातायात | ५,६५ |
| ३० | ३६ | विद्युत् | ८१ |
| ३१ | ३७ | निर्माण | २३,०८ |
| ३२ | ३९ | रक्षा | ६०,५६ |
| ३३ | ४० | विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण खर्च | ५,०० |
| ३४ | ४१ | पेन्सन भत्ता तथा उपदान | १०,०० |
| ३५ | ४२ | अतिथि सत्कार | ४४ |
| ३६ | ४३ | आकस्मिक सहायता, चन्दा र पुरस्कार | ६२ |
| ३७ | ४४ | पुनः मतदान | ७५ |
| ३८ | ४५ | मुआब्जा | १,०० |
| ३९ | ४६ | अन्य आकस्मिक | ७५ |
| ४० | ४७ | भैपरी आउने | ७,५० |
| | | | ३,६२,६६ |

मुद्रण विभाग, सिंहदरबार

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

## अनुसूची ३

दफा २ अनुसार सञ्चित कोषबाट खर्च हुने ।

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| सि. नं. | अनुदान संख्या | सेवा र कार्य | विनियोजित रकम रू. हजारमा |
| १ | १ | तथ्याङ्क | ३,९१ |
| २ | २ | सर्भे | १३,६४ |
| ३ | ३ | बजेट तथा एकाउण्टेण्ट तालीम योजना | ६९ |
| ४ | ४ | शिक्षा | ५७,११ |
| ५ | ५ | स्वास्थ्य | ४७,०३ |
| ६ | ६ | प्रचार तथा प्रसार | ६,०५ |
| ७ | ७ | पञ्चायत | ५८,२६ |
| ८ | ८ | कृषि | ६८,७९ |
| ९ | ९ | वन | १९,१४ |
| १० | १० | उद्योग वाणिज्य | ४६,८९ |
| ११ | ११ | सञ्चार | १४,१९ |
| १२ | १२ | यातायात | १२,३८ |
| १३ | १३ | विद्युत् | १,०६,३३ |
| १४ | १४ | निर्माण | ४,००,९९ |
| १५ | १५ | लगानी, ऋण तथा व्याज | १४,१५ |
| १६ | १६ | इञ्जिनीयरिङ्ग | ४,१४ |
| १७ | १७ | पुनः मतदान | १,२५ |
| १८ | १८ | झैपरी आउने | १९,२५ |
| १९ | १९ | योजना | ४,७४ |
| २० | २० | प्रशासन सुधार | १,६८ |
| २१ | २१ | भूमि सुधार | २९,०१ |
| २२ | २२ | मेट्रिक नाप तौल आयोजना | ६७ |
| २३ | २३ | राजस्व प्रशासन | २५ |
| | | | ९,३०,५४ |

लालमोहर सदर मिति २०२३।३।३१।६

आज्ञाले—
विनोदप्रसाद धिताल
श्री ५ को सरकारको सचिव ।

१)

श्री ५ को सरकारको छापाखानामा मुद्रित ।

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।